मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
BOMBAY PORT TRUST

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976

विनियम	विषयवस्तु	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ	
2.	परिभाषाएं	
3.	सामान्य	
4.	राजनीति एवं चुनाव में भाग लेना	
5.	दल एवं रेडियो से संबंध	
6.	संसद/सरकार की आलोचना	
7.	समिति अथवा अन्य किसी प्राधिकरण के समक्ष गवाही	
8.	सूचना/जानकारी का अनधिकृत संप्रेषण	
9.	अंशदान	
10.	उपहार	
11.	कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक कार्यक्रम आदि	
12.	निजी व्यवसाय या नौकरी	
13.	निवेश, ऋण देना या उधारी	
14.	दिवालियापन और आदतन उधारी	
15.	चल-अचल एवं मूल्यवान संपत्ति	
16.	कर्मचारियों की किसी कृति का निवारण	
17.	अकादमियों या अन्य बाहरी प्रभाव/दबाव	
18.	विवाह के बारे में प्रतिबंध	
19 क	कर्मचारीसे परिवार छोटा रखना	
19.	प्रस्थान	
20.	अधिनिर्णय	

अनुलग्नक "क"
अनुलग्नक "ख"
अनुलग्नक "ग"

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
BOMBAY PORT TRUST

महापत्तन न्यास अधिनियम (1963-38) 1963 की धारा 28 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा निम्न प्रथम विनियम बनाती है जो है -

1. संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ एवं प्रयुक्ति

   ये विनियम मुंपोट्र कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 कहलाये जाए.

2. जिस तिथि को इन विनियमों को केंद्र सरकार की मंजूरी राजपत्र में प्रकाशित होगी उस तिथि से ये विनियम लागू होंगे.

3. जब तक कि इन विनियमों के अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न हो, ये विनियम मुंपोट्र के कामकाज से संबंधित पदोंपर नियुक्त सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे.

   ये प्रावधान किया जाता है कि विनियम 4 के उपविनियम 5 के खण्ड II में बतायी गयी कोई भी बात III और IV श्रेणियों के उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जिनका वेतन प्रति माह 650/- रु. से कम हो बशर्ते कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14), विनियम 9, विनियम 10 का उप विनियम (2), उपविनियम (11), विनियम 12 का उपविनियम (2), विनियम 13, विनियम 15 के उपविनियम (1),(2) और (3) और विनियम 16,17 और 18 की प्रावधानों का अनुपालन होगा.

   आगे यह प्रावधान किया जाता है कि उपरोक्त उपबंधों में से कोई भी बात ऐसे कार्य से जुडे किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी, जो कार्य मुख्यतः प्रशासनिक, प्रबंधकीय, पर्यवेक्षिक, सुरक्षा अथवा कल्याण आदि कार्योंसे संबंधित है.

---

1. 19 जून 1976 के भारत के राजपत्र के भाग II धारा 3 की उपधारा (I) में प्रकाशित नौवहन और परिवहन मंत्रालय की दिनांक 26.5.1976 की अधिसूचना पीईबी 6/75

   (19 जून 1976 से लागू)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
BOMBAY PORT TRUST

2. परिभाषाएं इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

ए) "मंडल", "अध्यक्ष", "उपाध्यक्ष" तथा "विभागप्रमुख" शब्दों के अर्थ वे ही होंगे जो महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963-38) में हैं.

बी) प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पद के अर्थ वे ही होंगे जो उन्हें सुपोट्र कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं प्रतिवेदन) विनियम 1976 में क्रमशः प्रदान किये गये हैं.

सी) "कर्मचारी" से तात्पर्य है मंडल का कर्मचारी

डी) "सरकार" अर्थात केंद्र सरकार

इ) कर्मचारी के संबंध में परिवार सदस्य में निम्न शामिल होंगे --

I) कर्मचारी की पत्नि, बच्चे तथा सौतेले बच्चे, चाहे वे उसके साथ रहते हो या अलग और महिला कर्मचारी के मामले में उसका पति -जो उसके साथ ही रहता है और उसपर निर्भर है.

II) कर्मचारी अथवा कर्मचारी की पत्नि या पति जैसा मामला हो- के सगे (खून रिश्ता) या शादी के कारण बने रिश्ते के वे रिश्तेदार, जो ऐसे कर्मचारीपर पूर्णतः निर्भर है. लेकिन इसमें कर्मचारी से कानूनन विभक्त हुई पत्नि या पति -जैसा मामला हो- शामिल नहीं है और जो बच्चे या सौतेले बच्चे कर्मचारीपर निर्भर नहीं है, वे अथवा जिनकी परवरिश कानून ने कर्मचारी को नहीं दी है, ऐसे बच्चे या सौतेले बच्चे, परिवार सदस्य नहीं माने जाएगे.

एफ) "निर्धारित प्राधिकारी" से तात्पर्य है सुपोट्र कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और प्रतिवेदन) विनियम 1976 में यथा निर्धारित नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
BOMBAY PORT TRUST

संशोधन पर्ची

मुंपोट्र कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976
(13-3-1990 की न्यासी सं.सं.70 के साथ
पठित दि. 5-6-90 के भारतीय राजपत्र में
जीएसआर 549(ई) के रूप में प्रकाशित
जल-भूतल-परिवहन मंत्रालय की मंजूरी
से संशोधित)

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 3 में उपविनियम (1) के बाद उपविनियम (1 ए) के अंतर्गत निम्न सम्मिलित किया जाय.

"(1 ए) कोई भी कर्मचारी -

(I) बंदरगाह के हित के लिये हानिकर हो, ऐसा आचरण नहीं करेगा.

(II) मंजूर अवकाश के बगैर अनुपस्थित नहीं रहेगा. उपस्थिति में अनियमित नहीं होगा. तथा समय का पाबंद रहेगा.

(III) अपना काम दुर्लक्षित नहीं करेगा. कार्यनिष्पादन में लापरवाही नहीं बरतेगा. यदि काम में बाधा डालकर बिल्कुल धीमी गति से काम नहीं करेगा.

(IV) पोर्ट ट्रस्ट का कार्य अथवा संपत्ति के संबंध में चोरी, गबन अथवा अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं करेगा. ऐसे काम के लिए किसी को नहीं उकसाएगा अथवा ऐसे काम में दूसरों का सहयोग नहीं देगा.

(V) किसी भी दंडनीय व्यवहार या गलती की बार-बार पुनरुक्ति नहीं करेगा.

(VI) वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दिए गए उचित या कानूनी आदेशों की व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरों के साथ मिलकर अवज्ञा या उल्लंघन नहीं करेगा.

(VII) किसी को दुराचार के लिए ना उकसायेगा, ना उकसाने का प्रयास करेगा.

(VIII) पोर्ट ट्रस्ट संपत्ति अथवा पोर्ट ट्रस्ट की परिरक्षा में होने वाली या पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में पड़ी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुँचाएगा. पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में लगवाए गए सुरक्षा साधनों में हस्तक्षेप नहीं करेगा.

(IX) रिश्वत का लेन-देन, गैर कानूनी इनाम का स्वीकार स्वयं नहीं करेगा. दूसरों को भी उसके लिए उद्युत नहीं करेगा.

(X) पोर्ट ट्रस्ट के वरिष्ठ अधिकारी-अधिकारियों अथवा सहयोगी कर्मचारियों को मारपीट नहीं करेगा. उनपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा.

(XI) पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में जुआ नहीं खेलेगा, बेटिंग न देगा न उसका प्रयास करेगा.

(XII) नियम और विनियमों का हमेशा पालन करेगा.

(XIII) झूठा या भ्रामक कथन नहीं करेगा.

(XIV) पोर्ट ट्रस्ट के क्षेत्र में अथवा पोर्ट ट्रस्ट के कार्य के संबंध में होनेवाले परंतु जो पुलिस द्वारा दंडनीय नहीं है, ऐसे विवाद अथवा अपराध के लिए अपने सहकर्मचारी के विरूध्द मामला अध्यक्ष जी की पूर्वानुमति के बिना न्यायालय में नहीं ले जायेगा.

(XV) झगड़ा करना अथवा काम पर होते हुए सो जाना इस प्रकार का अनुचित आचरण नहीं करेगा, उपद्रवी, अस्त-व्यस्त अथवा असभ्य बर्ताव नहीं करेगा और अनुशासन के खिलाफ विद्रोही हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा.

3. सामान्य (1) प्रत्येक कर्मचारी हमेशा अपने काम के प्रति इमानदारी और पूरी निष्ठा रखेगा.

(i)(a) कृपया संशोधन पर्ची देखें.

(प्रथम या द्वितीय पद पर कार्यरत कोई भी कर्मचारी अपने किसी भी परिवार सदस्य को किसी कंपनी या फर्म में नौकरी दिलाने के लिए अपने पद एवं अधिकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं करेगा.

3.2 (i) प्रथम श्रेणी पद धारक कोई भी कर्मचारी अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना अपने बेटे, बेटी या अन्य किसी निर्भर रिश्तेदार को ऐसे किसी फर्म या कंपनी में किसी प्रकार की नौकरी स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा जिसके साथ "कर्मचारी" के नाते उस का कामकाजी संबंध हो, या उस "फर्म" और "मंडल" का व्यावसायिक संबंध हो.

बशर्ते कि जब कर्मचारी के बेटे, बेटी अथवा अन्य रिश्तेदार को ऐसी नौकरी की स्वीकृति के लिए अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के लिए रुकना संभव नहीं हो अथवा ऐसी नौकरी तुरंत स्वीकार करना अन्यथा आवश्यक हो, तो उस वक्त कर्मचारी इस मामले की सूचना अध्यक्षजी को देगा और नौकरी की स्वीकृति अध्यक्षजी की अनुमति प्राप्त होने की शर्तपर की जाए.

(ii) प्रथम और द्वितीय श्रेणी पदपर कार्यरत कर्मचारी उस के किसी परिवार सदस्य द्वारा ऐसी किसी कंपनी या फर्म में नौकरी स्वीकार किये जाने के बारे में पता चलते ही जानकारी ऐसे नौकरी की स्वीकृति के बारे में अध्यक्षजीको सूचित करेगा और यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या उस कंपनी या फर्म के साथ कर्मचारी के नाते उस के कोई संबंध है या थे ?

यह प्रावधान किया जाता है कि अगर प्रथम श्रेणी पदपर कार्यरत कर्मचारी उक्त खण्ड (i) के अंतर्गत पहले ही मंजूरी प्राप्त की है या अध्यक्षजी को रिपोर्ट दी है, तो उस स्थिति में ऐसी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.

*4. हर कर्मचारी ऐसे जहाँ उसका बच्चा या कोई भी रिश्तेदार काम करता है ऐसे किसी फर्म या कंपनी को ठेका दिये जाने या अन्य किसी प्रकार की सहायता दिये जाने से संबंधित मामले में काम नहीं करेगा.

*5. कोई भी कर्मचारी मंडल द्वारा या उसकी तरफ से आयोजित किसी नीलामी में बोली नहीं लगायेगा.

*6. धर्मांतर या धर्मप्रचार गतिविधियों में सहभाग या ऐसी गतिविधियों में अपने पद एवं प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस्तेमाल आपत्तिजनक माना जायेगा.

*7. प्रत्येक कर्मचारी से यह अपेक्षित है कि वह अपनी निजी जिंदगी में उचित एवं सभ्य आचरण रखेगा और अपनी किसी कृति से अपने नियोक्ता की बदनामी होने नहीं देगा.

यदि किन्हीं मामलों में ऐसा चलता है कि किसी कर्मचारी द्वारा ऐसा बर्ताव किया गया है जो मंडल के कर्मचारी को शोभा नहीं देता उदा. **पत्नि या परिवार की देखभाल न करना- तो उसके लिए कर्मचारी के विरूध्द कार्यवाही की जा सकती है.

*8. जिस कर्मचारी को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या जिसे गिरफ्तार किया गया है, वह कर्मचारी इस तरह दोषी ठहराये जाने या गिरफ्तार किये जाने की लिखित सूचना तुरंत विभागीय वरिष्ठों को देगा. ऐसा न किये जानेपर वह अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पात्र हो सकता है.

---

* 4-12-1976 की न्यासी सं.सं. 408, तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के दिनांक 7-3-77 की पत्र सं. पीडब्ल्यू-104/76 द्वारा पुनः क्रमांकबध्द (10-5-1977 से लागू)

** 10-6-1980 की न्यासी सं.सं. 140 तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की दिनांक 10-9-1980 की अधिसूचना पीडब्ल्यू/पीडब्ल्यू-58/80 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 27-9-1980) से लागू.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
BOMBAY PORT TRUST

संशोधन पर्ची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976

दिनांक 28-9-1981 की न्यासी सं.सं. 314

मुंपोट्र कर्मचारी (आचरण) विनियम 1976 में वर्तमान विनियम 4 के बदले निम्न का समावेश किया जाय.

"4" चुनाव में सहभाग हो - 1. कोई भी कर्मचारी किसी भी -- विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में भाग नहीं लेगा बशर्ते कि

i) ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र कर्मचारी अपना मतदान का अधिकार अदा कर सकता है, लेकिन जब वह मतदान करेगा तब यह यह नहीं बतायेगा कि उसने किस प्रकार मतदान किया है या करनेवाला है.

ii) यदि कोई कर्मचारी उस समय प्रचलित नियमों द्वारा या उनके अंतर्गत उसे सौंपा गया कार्य निभाते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहायता करता है तो केवल उस कारण से उसने उस विनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया है, ऐसा नहीं माना जायेगा.

2. कोई भी कर्मचारी ऐसे किसी भी निदर्शनों में भाग नहीं लेगा जो भारत के अधिपत्य एवं राष्ट्रीय एकात्मता, राज्य की सुरक्षा, विदेशों से सौहार्दपूर्ण संबंध अथवा सार्वजनिक सुव्यवस्था तथा सभ्यता या नैतिकता आदि के हित के विपरित हो, या जिन निदर्शनों से न्यायालय का अवमान होता हो, जो बदनामीकारक हो या जो किसी अपराध के लिए उत्तेजित करते हो.

3. कोई भी कर्मचारी ऐसे किसी भी संघ का सदस्य नहीं बनेगा या नहीं बना रहेगा जिस संघ के उद्देश्य या गतिविधियाँ भारत के अधिपत्य एवं राष्ट्रीय एकात्मता, सार्वजनिक सुव्यवस्था अथवा नैतिकता के लिए हानिकर है.

5. प्रेस या रेडिओ से संबंध - (i) अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्मचारी कोई भी समाचारपत्र या अन्य आवधिक प्रकाशन नहीं चलायेगा , उनकी पूर्ण अथवा आंशिक मालिकी नहीं लेगा अथवा ऐसे पत्र या प्रकाशन के संपादन एवं प्रबंधन में भाग नहीं लेगा.

(ii) अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा इस काम के लिए अधिकृत अन्य किसी प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना; अथवा अपने कार्य के प्रामाणिक निष्पादन के उद्देश को छोडकर अन्य कारण से कोई भी कर्मचारी रेडिओ अथवा दूरदर्शन प्रसारण में स[illegible] या अथवा [illegible] भी समाचारपत्र या अन्य आवधिक प्रकाशन में स्वयं अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से या बेनामी पत्र या लेख नहीं लिखेगा.

यह प्रावधान है कि यदि ऐसे प्रसारण अथवा इस प्रकार का लेखन योगदान यदि पूर्णत: साहित्यिक, कलात्मक या शास्त्रीय स्वरूप का हो; तो उसके लिए इस प्रकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी.